

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 646/2025

अनवान : -

1. ओमप्रकाश पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्

1. रामेश्वर लाल पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
2. विनोद कुमार पुत्र श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
3. दाखा पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
4. विमला पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी फौत
- 4/1. अनिल कुमार पुत्र विमला पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
- 4/2. सतपाल पुत्र विमला पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
5. मैना पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
6. सन्तोष पत्नि श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
7. सरोज पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
8. बलवन्ती पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
9. गीता पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
10. गायत्री पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में से 3253/38648 हिस्सा वादी के मृतक पिता देवसीराम उर्फ देव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड जिसमें संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं 25 के ख.नं. 170 की 6.4490 हैक्टर भूमि व ख.नं. 176 की 3.7170 हैक्टर भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा दर्ज है मृतका गोरा का 1/7 हिस्सा दर्ज है तथा मृतक श्योचन्द का 1/7 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादीया सं. 3 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीया सं. 4 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीया सं. 5 का 1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के पिता देवसीराम उर्फ देव सिंह का स्वर्गवास दिनांक 28/04/2019 को हो चुका है तथा माता गोरा देवी का स्वैगवास दिनांक 08/06/2024 को हो चुका है व जिनके वारिस वादी व प्रतिवादीगण सं. 1. 3 4. 5 है तथा देव सिंह के एक पुत्र श्योचन्द का स्वगवास दिनांक 13/05/2021 को हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 व 6 ता 10 है। रोही


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया से. 3 ता 5 जो वादी की बहिने है अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया था अब उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है तथा प्रतिवादीया सं. 6 ता 10 जो प्रतिवादी सं. 2 की माता व बहिने है ने श्योचन्द के जीवनकाल में ही अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग कर चुकी अब इनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है बाद हक त्याग के रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में मृतक देवसीराम उर्फ देव सिंह के 3253/38648 हिस्सा मे से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा है तथा रोही मौजा नगरासरी के खाता सं. 25 की कुल तादादी 10.1660 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 3 ता 10 ने अपने समस्त हक व हिस्से का त्याग वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया है वर्तमान में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसलिये मृतक गोरा व मृतक श्योचन्द का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे यही घोषणा वादी न्यायालय से करापाने का अधिकारी है। वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड रोही मौजा जबरासर के खाता सं. 152 में सहवन से टंकणीय भूलवस देवसीराम दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम देव सिंह है तथा सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में देव सिंह दर्ज है तथा सही नाम देव सिंह है यही घोषणा वादी न्यायालय से करापाने का अधिकारी है।

घोषणा कि जावे कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में से देवसीराम का 3253/38648 हिस्सा भूमि में देवसीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे तथा रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत 2077-2080 के खाता सं. 25 की कुल तादादी 10.1660 हैक्टर भूमि में मृतक गोरा व मृतक श्योचन्द व प्रतिवादी सं. 3 ता 5 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Zahed
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व मृत्यु प्रमाण गौरा, श्योचन्द पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी सं० 2 ता 3 व मृतक गौरा व श्योचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी के पिता देवसीराम उर्फ देव सिंह का स्वर्गवास दिनांक 28/04/2019 को हो चुका है तथा माता गोरा देवी का स्वैगवास दिनांक 08/06/2024 को हो चुका है व जिनके वारिस वादी व प्रतिवादीगण सं. 1. 3 4. 5 है तथा देव सिंह के एक पुत्र श्योचन्द का स्वगवास दिनांक 13/05/2021 को हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 व 6 ता 10 है। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संक्त 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया से. 3 ता 5 जो वादी की बहिने है अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया था अब उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है तथा प्रतिवादीया सं. 6 ता 10 जो प्रतिवादी सं. 2 की माता व बहिने है ने श्योचन्द के जीवनकाल में ही अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग कर चुकी अब इनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है बाद हक त्याग के रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में मृतक देवसीराम उर्फ देव सिंह के 3253/38648 हिस्सा मे से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा है तथा रोही मौजा नगरासरी के खाता सं. 25 की कुल तादादी 10.1660 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 3 ता 10 ने अपने समस्त हक व हिस्से का त्याग वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया है वर्तमान में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसलिये मृतक गोरा व मृतक श्योचन्द का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे यही घोषणा वादी न्यायालय से करापाने का अधिकारी है। वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड रोही मौजा जबरासर के खाता सं. 152 में सहवन से टंकणीय भूलवस देवसीराम दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम देव सिंह है तथा सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में देव सिंह दर्ज है तथा सही

Lahri
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम देव सिंह है यही घोषणा वादी न्यायालय से करापाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 10 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 के खसरा नं. 566/1040 की 5.7300 हैक्टर ख.नं. 567 की 5.3600 हैक्टर ख.नं. 592 की 0.7840 हैक्टर ख.नं. 631 की 3.8960 हैक्टर ख.नं. 633/1037 की 2.4040 हैक्टर ख.नं. 637/1032 की 3.3520 हैक्टर ख.नं. 733 की 3.4010 हैक्टर ख.नं. 772 की 7.3350 हैक्टर तथा ख.नं. 812 की 6.3860 हैक्टर भूमि कुल खसरे 9 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में से 3253/38648 हिस्सा वादी के मृतक पिता देवसीराम उर्फ देव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड जिसमें संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं 25 के ख.नं. 170 की 6.4490 हैक्टर भूमि व ख. नं. 176 की 3.7170 हैक्टर भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा दर्ज है मृतका गौरा का 1/7 हिस्सा दर्ज है तथा मृतक श्योचन्द का 1/7 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादीया सं. 3 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीया सं. 4 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीया सं. 5 का 1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 2 ता 3 व मृतक गौरा व श्योचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी के पिता देवसीराम उर्फ देव सिंह का स्वर्गवास दिनांक 28/04/2019 को हो चुका है तथा माता गौरा देवी का स्वर्गवास दिनांक 08/06/2024 को हो चुका है व जिनके वारिस वादी व प्रतिवादीगण सं. 1. 3 4. 5 है तथा देव सिंह के एक पुत्र श्योचन्द का स्वर्गवास दिनांक 13/05/2021 को हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 व 6 ता 10 है। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया से. 3 ता 5 जो वादी की बहिने है अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया था अब उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है तथा प्रतिवादीया सं. 6 ता 10 जो प्रतिवादी सं. 2 की माता व बहिने है ने श्योचन्द के जीवनकाल में ही अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग कर चुकी अब इनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है बाद हक त्याग के रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में मृतक देवसीराम उर्फ देव सिंह के 3253/38648 हिस्सा मे से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी

Lahul
उपसहस्र अधिकारी
नोहर

सं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा है तथा रोही मौजा नगरासरी के खाता सं. 25 की कुल तादादी 10.1660 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 3 ता 10 ने अपने समस्त हक व हिस्से का त्याग वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया है वर्तमान में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसलिये मृतक गोरा व मृतक श्योचन्द का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे यही घोषणा वादी न्यायालय से करापाने का अधिकारी है। वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड रोही मौजा जबरासर के खाता सं. 152 में सहवन से टंकणीय भूलवस देवसीराम दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम देव सिंह है तथा सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में देव सिंह दर्ज है तथा सही नाम देव सिंह है यही घोषणा वादी न्यायालय से करापाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी सं 1 ता 10 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में से देवसीराम का 3253/38648 हिस्सा भूमि में देवसीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत 2077-2080 के खाता सं. 25 की कुल तादादी 10.1660 हैक्टर भूमि में मृतक गोरा व मृतक श्योचन्द व प्रतिवादी सं 3 ता 5 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 646/2025

अनवान : -

1. ओमप्रकाश पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्


1. रामेश्वर लाल पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
2. विनोद कुमार पुत्र श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
3. दाखा पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
4. विमला पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी फौत
- 4/1. अनिल कुमार पुत्र विमला पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
- 4/2. सतपाल पुत्र विमला पुत्री देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
5. मैना पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
6. सन्तोष पत्नि श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
7. सरोज पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
8. बलवन्ती पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
9. गीता पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
10. गायत्री पुत्री श्योचन्द पुत्र देव सिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 646 सन 2025 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 152/149 की कुल तादादी 38.6480 हैक्टर भूमि में से देवसीराम का 3253/38648 हिस्सा भूमि में देवसीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत 2077-2080 के खाता सं. 25 की कुल तादादी 10.1660 हैक्टर भूमि में मृतक गोरा व मृतक श्योचन्द व प्रतिवादी सं. 3 ता 5 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर